



टी बोर्ड

14,बी.टी.एम.सरणी,(ब्रेबोर्न रोड), कोलकाता 700001

वेबसाइट: <https://www.teaboard.gov.in>

दूरभाष: (033) 2235 1331

ई-मेल : secretary.tbi-wb@gov.in

संदर्भ. सं. एलसी-पॉली/1/2026-लाइसेंसिंग

दिनांक: 08.01.2026

नोटिस

टी बोर्ड ने विभिन्न अधिनियमों और नियंत्रण आदेशों के तहत विभिन्न लाइसेंस / पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी करने के लिए ऑनलाइन प्रणाली लागू की है। सभी संबंधितों की जानकारी के लिए आवेदनों के निपटान की समय सीमा नीचे दी गई है।

आवेदक निर्धारित प्रारूप में लाइसेंस/पंजीकरण प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करेंगे और दिशानिर्देशों के अनुसार सभी तरह से पूर्ण दस्तावेज ऑनलाइन पोर्टल <https://onlineapps.teaboard.gov.in> के माध्यम से जमा करेंगे।

यदि आवेदन किसी भी तरह से अधूरा पाया जाता है, तो आवेदक को आवश्यक दस्तावेज जमा करने और स्पष्टीकरण देने का केवल एक ही अवसर दिया जाएगा; और यदि आवेदक स्पष्टीकरण के अनुरोध के जवाब में दस्तावेज/स्पष्टीकरण जमा करने में विफल रहता है, तो आवेदन शुल्क जब्त करते हुए उसका आवेदन अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

क्र.सं	आवेदन की प्रकृति	कार्य दिवसों में समयसीमा (आवेदन प्राप्ति की तारीख से, दिशानिर्देशों के अनुसार सभी मामलों में पूर्ण)
1	निर्यातक लाइसेंस	10
2	स्थायी निर्यातक	10
3	वितरक	10
4	क्रेता पंजीकरण	10
5	चाय नीलामी में ब्रोकर	10
6	चाय नीलामी के आयोजक	10
7	फ्लेवर पंजीकरण	20
8	वेयरहाउस लाइसेंस	25
9	विनिर्माण इकाई के निर्माण के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र (त्वरित योजना के अंतर्गत)	15
10	विनिर्माण इकाई के निर्माण के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र (गैर-त्वरित योजना के तहत)	20
11	विनिर्माण इकाई के लिए पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी करना	20
12	बागान का स्वामित्व परिवर्तन	20
13	कारखाने का स्वामित्व परिवर्तन	20
14	चाय अपशिष्ट	20
15	नया बागान पंजीकरण	10
16	लघु चाय फैक्ट्री	25

-ह-

(डॉ. ऋषिकेश राय)

सचिव